टोंक : पंचायतीराज चुनावों में तीन प्रधान पद सामान्य महिला के लिए तय

टोंक जिले में पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलीं गई।

■ 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी संबंधित एसडीएम कार्यालयों में होगी। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर भी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

टोंक। जिले में पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी निकल चुकी है।

जिला परिषद के 31 वार्डों और जिले की 8 पंचायत समितियों के प्रधान पदों का आरक्षण तय हो गया है। इसके साथ ही चुनाव में दावेदारी करने वाले संभावित प्रत्याशियों के लिए भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। जिले की 8 पंचायत समितियों में टोंक, मालपुरा और पीपलू के प्रधान पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। टोडारायसिंह का प्रधान पद अनारक्षित रखा गया है।

देवली में एसटी, निवाई में ओबीसी, उनियारा में एससी और पचेवर में एससी महिला के लिए प्रधान पद आरक्षित हुआ है। वहीं जिला परिषद में 11 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं। जिला परिषद, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के बाद अब 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी संबंधित एसडीएम कार्यालयों में होगी। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर भी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब सरपंच व वार्ड पंच पदों की लाटरी के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे है। कई ने तो अपने कागजात तैयार कर रखे है जिससे मौका मिलते ही वे फार्म भर सके।

अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष की कुर्सी भी कांग्रेस के नाम

पावटा। पावटा-प्रागपुरा नगरपालिका में अध्यक्ष पद के बाद अब उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। सोमवार को कांग्रेस की मीना देवी पत्नी अजय सैनी के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद मंगलवार को हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोमवती मीणा ने जीत दर्ज कर नगरपालिका की सत्ता में कांठोस की स्थिति को और मजबूत कर दिया। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की सोमवती मीणा को 27 मत, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद यादव को 18 मत प्राप्त हुए। इस तरह सोमवती मीणा ने 9 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड गई।

सार-समाचार

भजन संध्या में उमड़े श्रद्धालु

निवाई। इन्दिरा कॉलोनी में स्थित श्याम मन्दिर में एकादशी पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड पडा। इस दौरान बाबा श्याम का पन्चामृत से अभिषेक करके चंदन का लेप कर कलकत्ता के फूलों से भव्य शृंगार किया गया। इस दौरान बाबा श्याम के जयकारों से आस-पास का वातावरण गुंजायमान हो गया। मंगलवार की शाम सात बजे से विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। जिसमें जयपुर के गायक पवन श्रीमाल, राजू खंडेलवाल व महेश दरगड सहित स्थानीय गायकों ने कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणों है, चलो बुलावा आया है श्याम ने बुलाया है, दरबार तेरा सांवरिया किसने सजाया है, वो किस्मत वाले होते है जिन्हे श्याम बुलाते है, कर दो कर दो बेडा पार राधे अलबेली सरकार, राधे-राधे जपो चले आएंगे बिहारी व रात श्याम सपने में आए सहित कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर भक्ति नृत्य किया। भजन संध्या के बाद महाआरती करके भक्तों को प्रसादी वितरित की। इस दौरान श्याम मन्दिर को भव्य लाइटिंग से सजायागया।

विजेता खिलाड़ी सम्मानित

निवाई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी नंबर 3 में जिला स्तरीय साइकिलिंग खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह पूर्वक किया गया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अनुशासन एवं खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता संयोजक शकुंतला वर्मा ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता शहरी शिक्षा संकुल अधिकारी गिरिराज गुर्जर ने की। समारोह में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मीना भदोरिया मुख्य अतिथि रहीं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि विष्णु शर्मा, विधायक प्रतिनिधि संजय सैनी, किशनलाल चौधरी, भामाशाह सांवरमल चौधरी एवं राजेश यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजक शारीरिक शिक्षक रामकिशन गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिला स्तर पर विजेता रहे बालक एवं बालिकाओं को अतिथियों द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करती हैं। उन्होंने विजेता खिलाडि़यों को राज्य स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं तथा प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए विद्यालय परिवार एवं सभी शारीरिक शिक्षकों की सराहना की। इस अवसर पर शकुंतला वर्मा, मोहन कंवर, पुष्पा तौणगरिया, रामकिशन गुर्जर, विमलकुमार विजय, विजयलक्ष्मी शर्मा, सुवालाल मीणा, राकेश शर्मा, सुमन चौधरी, सत्यनारायण खंगार, संजू कुमारी व मांगीलाल रैगर सहित कई शिक्षकगण मौजूद थे।

अस्पताल में गंदगी पर एसडीएम नाराज

रूपवास (भरतपुर) कस्बे के उप जिला अस्पताल में बुधवार को उपखण्ड अधिकारी दिनेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी और सफाई व्यवस्था में खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखण्ड अधिकारी ने अस्पताल में संचालित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, वार्ड, दवा वितरण केंद्र, जांच प्रयोगशाला, आपातकालीन सेवाएं, पंजीकरण काउंटर सहित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दिनेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से भी संवाद कर चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान मरीजों की समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनके समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर उपखण्ड अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान में स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, मरीजों की सुविधा तथा कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में भी जानकारी ली।

शहीद बुनकर के शहादत दिवस पर तिरंगा रैली आज

शाहपुरा । नगरपरिषद के ग्राम रामपुरा निवासी सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के शौर्य वीरता पदक से सम्मानित शहीद मुकेश कुमार बुनकर के शहादत दिवस के अवसर पर 24 सितंबर,गुरूवार को विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा रैली के पोस्टर का विमोचन उपखण्ड अधिकारी जेपी बैरवा,शाहपुरा तहसीलदार दाताराम गुर्जर,नगरपरिषद सभापति रविश खटाणा,सांसद प्रतिनिधि देवायुष सिंह, रजनीश हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. रजनीश शर्मा,पलक हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. महेश मौर्य,एयू बैंक की स्वदेशी नेशनल बैंकिंग हेड सुल्तान पलसानिया,बलाई छात्रावास,उद्योगपति हरिप्रसाद बल्लीवाल,रैगर छात्रावास आदि स्थानों पर किया गया।

महिला पर हमला कर जेवरात लूटने का आरोपी पकड़ा

■ दूदू शिवलाल बैरवा व वृत्ताधिकारी सांभरलेक मुकेश कुमार जोशी के निकटतम सुपरविजन में तथा थानाधिकारी नरैना उमराव सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों को पकड़ा

सांभरझील, (निसं)। महिला पर हमला कर सोने के आभूषण लूटने करने के मामले में नरेना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हनुमान प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण ने बताया कि परिवादी महराम जाट पुत्र सावताराम जाट जाति जाट उम्र 68 साल निवासी बिंगोलाव थाना नरैना जिला जयपुर ठाामीण ने पुलिस थाना नरैना पर रिपोर्ट दर्ज करवायी कि 16 सितम्बर 2026 को मेरी पत्नी लाडादेवी घर पर अकेली थी तब समय करीब 12.30-1.00 पीएम के लगभग एक अनजान व्यक्ति गाँव मे घूमता हुआ मेरे घर मे घुस गया और मेरी पत्नी लाडा देवी पर हथियार से सिर में चोट मार दी जिससे मेरी पत्नी बेहोश हो गई और मेरी पत्नी के पहने हुये गहने सोने की नाक की नथ एंव दोनो कानो की टोटी (टोपस) व घर से अन्य आभूषण जबरदस्ती लूट कर फरार हो गया। मेरी पत्नी बेहोश हालत में पडी हुई थी जिसको मेरे परिवार वाले अस्पताल लेकर गये। प्रकरण में अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा व वृत्ताधिकारी सांभरलेक मुकेश कुमार जोशी के निकटतम सुपरविजन में तथा थानाधिकारी नरैना उमराव सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आसूचना संकलन कर रास्ते में आनें वाले करीबन 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चैक करते हुए तकनीकी सहायता द्वारा अथक प्रयास करते हुए अज्ञात व्यकित की जयपुर जालन्धर, गुरुदासपुरस अमृतसर (पंजाब) में तलाश करते हुए संदिग्ध आरोपी आकाशदीप सिह जाति किंग सिख निवासी पाकिवान थाना कनोरल जिला गुरुदासपुर पंजाब को डिटेन कर गहनता से पूछताछ की तो द्वारा दिनांक लूट की वारदात करना स्वीकार किया जिस पर बाद प्रमाणित जुर्म के शातिर आरोपी आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी आकाशदीप सिंह से लूटा प्रकरण हाजा का माल मसरूका कान की बाली (टोपीस) व नाक की नथ बरामद की गई हैं।

जेल से छूटे नरेश मीणा, बोले- पंचायत चुनाव लड़ेंगे

टोंक। एसडीएम थप्पड़ काण्ड प्रकरण के आरोपी नरेश मीणा बुधवार को जिला कारागृह टोंक से रिहा होने के बाद मीणा ने कहा कि अब हम पूरी ताकत के साथ पंचायत राज चुनाव लड़ेंगे। नरेश मीणा ने कहा कि जिस क्रांति की बात मैं लगातार करता आया हूं, उसकी शुरुआत हाड़ौती से हो चुकी है। मेरे दोस्त और बारां नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन कमल राठौर ने इसकी शुरुआत कर दी है। उनके पास अभी चुनाव चिन्ह नहीं था, ऐसे में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। बता दें कि नरेश मीणा ने विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इस मामले में

स्मैक बेचने के तीन आरोपी पकड़े

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त अभियान के तहत मालपुरा वृत्ताधिकारी आशीष कुमार प्रजापत एवं लाम्बाहरिसिंह थानाधिकारी धासीलाल के नेतृत्व में गठित थाना टीम एवं जिला स्पेशन टीम द्वारा अभियान में संयुक्त कार्यवाही करते हुए मालपुरा केकडी रोड स्थित इन्दोली से आरोपी ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण जाट उम्र 28 साल व प्रधान पुत्र गोपाल जाट उम्र 45 साल निवासी प्रतापपुरा थाना लाम्बाहरिसिंह को डिटने कर पूछताछ के बाद मोटरसाईकिल पर रखे प्लास्टिक की थैली में मिले 486 ग्राम अफीम मादक पदार्थ को परिवहन करते पाये जाने पर दोनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार कोतवाली थाना टीम व जिला स्पेशल टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए शहर के बहीर क्षेत्र से आरोपी दशरथ सिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 55 साल निवासी फूलबाग बहीर के कब्जे से 7.50 ग्राम स्मैक व 42 पव्वे शराब जो वह मोटरसाईल से परिवहन करने कार्य करता था। इस कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थो से प्राप्त राशि 22 हजार 70 रुपये जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आरक्षण लॉटरी निकाली

■ कोटपुतली में 27 वार्डों में आरक्षण का निर्धारण किया गया

कोटपूतली । पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं पंचायत समिति प्रधान पदों के आरक्षण निर्धारण एवं आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया आज जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरुका की उपस्थिति में जिला कलेक्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड के सभागार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लॉटरी प्रक्रिया निर्धारित समयानुसार प्रातः 11 बजे आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, हितधारक एवं आमजन भी उपस्थित रहे। लॉटरी के माध्यम से जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों, पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों तथा पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का निर्धारण एवं आवंटन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई। जिला परिषद सदस्य के वार्डों का आरक्षण जिला परिषद सदस्य के लिए कुल 27 वार्डों में आरक्षण का निर्धारण किया गया। इनमें वार्ड संख्या 17 एवं 8 महिला अनुसूचित जाति, जबकि वार्ड संख्या 9 एवं 7 अनुसूचित जाति सामान्य के लिए आरक्षित किए गए। वार्ड संख्या 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहा। इसी प्रकार वार्ड संख्या 11 एवं 19 महिला अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) तथा वार्ड संख्या 12, 15 एवं 27 ओबीसी सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए। वार्ड संख्या 5, 20, 23, 18, 25, 13, 1, 6 एवं 26 महिला सामान्य तथा वार्ड संख्या 2, 3, 4, 21, 14, 24, 10 एवं 22 सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए। पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए भी लॉटरी के माध्यम से आरक्षण निर्धारित किया गया। इसके तहत मैड-कुंडला पंचायत समिति का प्रधान पद महिला अनुसूचित जाति, नारायणपुर पंचायत समिति का प्रधान पद ओबीसी ओपन, पावटा, बानसूर एवं विराटनगर पंचायत समितियों के प्रधान पद महिला सामान्य तथा कोटपूतली, बहरोड़ एवं नीमराणा पंचायत समितियों के प्रधान पद सामान्य (ओपन) श्रेणी के लिए

50 से अधिक अभियंता एकजुट, मारपीट के विरोध में कठोर कानून की मांग

■ घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी कानूनी व्यवस्था की सीएम से मांग

भरतपुर। डीग में अभियंताओं के साथ हुई घटना के बाद सरकार, जिला एवं पुलिस प्रशासन से त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले को लेकर फोरम द्वारा संभागीय आयुक्त, आईजी पुलिस एवं राज्य सरकार को प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया कि अभियंता राज्य के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियंता सड़क, भवन, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, नगरीय विकास सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं निगरानी का दायित्व निभाते हैं। फील्ड में कार्य करते समय उन्हें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ड्यूटी के दौरान उनके साथ हिंसा या दुर्व्यवहार की घटनाएं अत्यंत गंभीर विषय हैं। फोरम ने 22 सितम्बर 2026 को डीग में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के साथ हुई घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया। घटना के विरोध एवं अभियंताओं की सुरक्षा की मांग को लेकर इंजीनियर्स फोरम भरतपुर के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जल संसाधन विभाग, रीको, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम तथा आरयूआईडीपी सहित विभिन्न विभागों के 50 से अधिक अभियंता एकजुट हुए। अभियंताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर डीग एवं संभागीय आयुक्त एवं आईजी के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर घटना में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा अभियंताओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जय लाल मीणा ने कहा कि सभी अभियंता अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों को धरातल पर लागू करते हैं। यदि फील्ड में कार्यरत अभियंता ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वे बिना भय एवं दबाव के अपने तकनीकी एवं प्रशासनिक निर्णय कैसे ले पाएंगे। उन्होंने अभियंताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, डीग पवन सोलंकी ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी के कृत्य के लिए उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए तथा यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्ति/फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए। अधिशासी अभियंता, भरतपुर विकास प्राधिकरण, डी.पी. शर्मा ने कहा कि अभियंता किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, बल्कि शासन एवं जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसलिए उनके साथ ड्यूटी के दौरान होने वाली हिंसा अथवा दबाव को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कानूनी संरक्षण दिया जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की गई है कि राजस्थान में राजस्थान अभियंता संरक्षण अधिनियम बनाया जाए, जिसमें ड्यूटी पर कार्यरत अभियंताओं के साथ मारपीट, धमकी, अभद्रता एवं कार्य में अनुचित हस्तक्षेप जैसी घटनाओं के विरुद्ध प्रभावी कानूनी प्रावधान किए जाएं। फोरम ने इसे अभियंताओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में आवश्यक कदम बताया। फोरम ने राज्य सरकार से आठाह किया कि डीग की घटना में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी कानूनी व्यवस्था की जाए इस अवसर पर इंजीनियर्स फोरम भरतपुर के अध्यक्ष अभियंता मनोज पाराशर, अधिशासी अभियंता बृजमोहन सिंह, दीपु सिंह, केशव पांडे, रतन सिंह, सहायक अभियंता राधेश्याम गुर्जर, कनिष्ठ अभियंता नवीन गोयल, अनूप सिंह, संदीप सिंह, योगेश कुमार, आरती मीणा, मनीष दायमा सहित विभिन्न विभागों के 50 से अधिक अभियंता उपस्थित रहे।

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

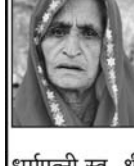

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि

श्रीमती भौंरी देवी

धर्मपत्नी स्व. श्री राधेश्याम जी मीणा का स्वर्गवास दिनांक 22.09.2026 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 24.09.2026 को दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक निज निवास स्थान मीणों का चौक, नाहरगढ पुलिस थाना पुरानी बस्ती जयपुर पर रखी गई है।

शोकाकुलः लक्ष्मी नारायण ध्यावणा (पुत्र), सूरज, रतन, जतन (पौत्र) एवं समस्त ध्यावणा परिवार।

मो. 9461235179, 9928622050

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती सुमित्रा कुमावत पत्नी श्री रामधन कुमावत निवासी बी 11 इंडलोद हाऊस कॉलोनी, हवा सड़क जयपुर का पुत्र योगेन्द्र कुमावत व उसकी पत्नी पूजा गोस्वामी जो कि उनके कहने में नहीं है तथा काफी समय से अलग रहते है तथा मेरी अभिभाष्या व उसके पति से लड़ाई झगड़ा करते रहते है व उनका सम्मान नहीं करता है इसलिए मेरी अभिभाष्या ने उन्हें अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति व जायदाद से बेदखल कर दिया है. हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई योगेन्द्र कुमावत व उसकी पत्नी पूजा गोस्वामी से मेरी अभिभाष्या की रेफरेन्स से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी।
बी. एल. कुमावत एडवोकेट, मो. 9829107413

आम सूचना दि. 23.09.2026
मेरे अभिभाष्य रघुनन्दन शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिवल्लभ शर्मा, हाल निवासी- फ्लेट नं. एफ 2 (फर्स्ट फ्लोर) प्लाट नं. 5 पूर्वी हिस्सा बसन्त विहार सिरसी रोड पांच्यावाला जयपुर ने अपने उक्त फ्लैट की देखरेख व सार संभाल बाबत दिनांक 26.01.2025 को मानसिंह पुत्र श्री बालसिंह निवासी- फ्लैट नं. एफ 2 प्लाट नं. 5, वेस्ट पार्ट, बसन्त विहार, सिरसी रोड, पांच्यावाला, जयपुर को मुख्त्यारआम नियुक्त कर मुख्त्यारनामा आम निष्पादित किया था। जिसे मेरे अभिभाष्य ने दिनांक 25.06.2026 को निरस्त कर, निरस्त की सूचना मानसिंह को भिजवा दी थी। मुख्त्यारआम निरस्त की सूचना को पुनरावृति करते हुए मेरे अभिभाष्य के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.08.2026 को नोटिस भेजा गया था, जो मानसिंह को प्राप्त हो गया है। मानसिंह द्वारा फ्लैट के संबंध में कोई विधिक एवं सिविल कार्यवाही की जाती है तो मेरे अभिभाष्य की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सूचित रहे।
(भगवती सहाय गौड) एडवोकेट

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गोकुल प्रसाद शर्मा, निवासी 205, राजपूत मोहल्ला, ढोढसर, जयपुर 303712 (राज.) स्वयं की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा के नाम से आवासीय प्लॉट नम्बर 17, रघुनाथ विहार, ग्राम बिशनावाला, जयपुर (राज.) में स्थित है जिसकी भूमि का कुल क्षेत्रफल 62.08 वर्गगज है जिसे मेरे मुवक्किल एवं मेरे मुवक्किल की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ. सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिसका ऋण संख्या 622084517 एवं 623058881 है, उक्त श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा उर्फ श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा का स्वर्गवास 15.07.2021 को हो चुका है, श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा उर्फ श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान मे श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गोकुल प्रसाद शर्मा, श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार शर्मा एवं विकुल शर्मा पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा है, इसके अलावा स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा उर्फ श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा का कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारिसान नहीं है, चूंकि मेरे मुवक्किल एवं श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा पत्नी श्री दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरे मुवक्किल स्वयं की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा देवी शर्मा के स्वामित्व की उक्त अचल सम्पति के समस्त मूल दस्तावेज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक मे विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर-302001 (राज.) से प्राप्त करना चाहते है, इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि मे अद्योहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नही होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरुद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
(श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
6/48, मालवीय नगर, जयपुर मोबाईल 9829218044

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 4017 दिनांक :-23/09/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 50/42 (MIG-B) का आवंटन श्री संजय कुमार जायसवाल पुत्र श्री कन्हैयालाल जायसवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3627 दिनांक 20.05.1994 को जारी किया गया था। श्री संजय कुमार जायसवाल द्वारा श्री कन्हैयालाल जायसवाल पुत्र स्व. श्री सुन्दर प्रसाद को दिनांक 30.08.1996 मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री संजय कुमार जायसवाल के पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 09.08.2004 को उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर में किया गया। श्री कन्हैयालाल जायसवाल के द्वारा मुख्त्यारनामा आम धारक की हैसियत से उक्त आवास / फ्लैट को श्री शंकर लाल बंशीवाल पुत्र श्री कल्याण मल बंशीवाल को दिनांक 08.09.2004 को विक्रय कर उप पंजीयक, सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री शंकर लाल बंशीवाल पुत्र श्री कल्याण मल बंशीवाल द्वारा आवासन मण्डल में पंजीकृत विक्रय पत्र आधार से उक्त आवास कि पत्रावली में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री शंकर लाल बंशीवाल पुत्र श्री कल्याण मल बंशीवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004
क्रमांक: F-JDA/Zone-14/2026/D-917 **सार्वजनिक सूचना:**
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 330387 दिनांक 15-09-2026 को निम्नांकित भूखण्ड का LAYOUT PLAN APPROVAL जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं:

आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ तीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या एवं भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
Sonu Gupta S/o Gopal Prasad	श्री अशोक अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल अग्रवाल	Khasra No. 141/1, 141/1, 149/1 एवं 0.546044 hectare	PRIVATE	Village Yarli-pura Tehsil-Chaksu	Layout Plan Approval	आवेदन रसीद, जमाबन्दी, 90-बी आदेश, मास्टर प्लान-2025, 2011, जोनल प्लान, गूगल(मानचित्र, ले-आउट प्लान, पहचान दस्तावेज व 90बी आदेश क्रमांक 61/2010 दिनांक 09.12.2010 जारी है, उक्त 90बी आदेश एक वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण व पंजीकृत विक्रय पत्रों आदि।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Layout Plan Approval जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection Module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। DC(Zone-14) जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है मेरे अभिभाष्य सत्यनारायण रामावतार पुत्र रामलाल कुम्हार निवासी लापोड़िया तह. दूदू को ग्राम पंचायत गागरडू द्वारा पट्टा संख्या 147 दिनांक 07/03/2024 को जारी किया गया था। उक्त सम्पति का मूल पट्टा संख्या 147 मय पट्टा पंजीयन दिनांक 15/06/2026 मेरे अभिभाष्य रामावतार पुत्र रामलाल कुम्हार निवासी लापोड़िया तह. दूदू से दूदू गाँव से जाते समय रास्ते में कही खो गया। जो काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। जिसकी गुमशुदगी सूचना रिपोर्ट मेरे अभिभाष्य रामावतार पुत्र रामलाल कुम्हार निवासी लापोड़िया तह. दूदू द्वारा दर्ज करवा दी गई। इसके पश्यात भी उक्त मूल पट्टा संख्या 147 दिनांक 07/03/2024 काफी तलाशने के बाद भी नही मिल रहे है एवं गुम हो गए है। तत्पश्चात मेरे अभिभाष्य सत्यनारायण रामावतार पुत्र रामलाल कुम्हार निवासी लापोड़िया तह. दूदू को ग्राम पंचायत गागरडू द्वारा एक डुप्लीकेट पट्टा संख्या 05 दिनांक 07/03/2024 को जारी किया गया।
हर आम व खास को सूचित किया जाता है उक्त मूल पट्टा संख्या 147 दिनांक 07/03/2024 मय पट्टा पंजीयन किसी को मिले तो मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को जमा करावे। साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो 07 दिवस के भीतर भीतर मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपति करवा दें। बाद गुजरने मियाद किसी भी तरह की आपति मान्य नही होगी।
सुरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट, मो.-9414297482

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या ईशिका गुप्ता पुत्री श्री पूरण चन्द गुप्ता निवासी- बस स्टैण्ड के पास, लक्ष्मीकान्त कॉलोनी करौली, जिला करौली राजस्थान की निवासनी है पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर रजि.नं. 2429 / एल के द्वारा जारी प्लाट नं. 339, स्कीम ग्रीन सिटी खसरा नं. 217, अपोजिट प्लाट नं. 2 नायला रोड़, जयपुर में स्थित इन्द्रा गुप्ता पत्नी पूरण गुप्ता के नाम से मूल आवंटन पत्र रसीद व साईड प्लान जारी कर के दिये थे जो कि मेरी अभिभाष्या इशिका गुप्ता के पास से गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें।
जयपुर कुलदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट
दिनांक-23.09.2026 मो.नं. 9694409999

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य मोहब्बत सिंह राठौड़ पुत्र श्री जयसिंह राठौड ने मनीषा भार्गव पत्नी श्री नीरज भार्गव निवासी- 83/67 सेक्टर 8, जोन 83, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर से उनके स्वामित्व, कब्जे व अधिकार के म.न. - 1/126, सेक्टर-1, एस. एफ.एस. अग्रवाल फॉर्म, मानसरोवर, जयपुर को क्रय करने का इकरार किया है, किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकार या अन्य को कोई आपति हो तो सूचना प्रकाशन से पन्द्रह दिन में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित आपति मय साक्ष्य प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद मेरे अभिभाष्य के कानूनी अधिकारो के विरुद्ध कोई आपति मान्य नहीं होगी एवं मेरे अभिभाष्य द्वारा उक्त संपति के विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया जाएगा। सूचित रहे।
दिनांक:- 26.06.2023 (बी.एस. राठौड) एडवोकेट मो0 न0-9314494897

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम
आम सूचना
रेफरेन्स प्रकरण संख्या 171/2024 (10054/24)
सक्षम प्राधिकारी बनाम अविनाश व अन्य
रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 3 एच (4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बावत ग्राम गीला की नांगल, तहसील बस्सी जिला जयपुर की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 107 रकवा 0.0253 हैक्टेयर राशि 3,72,841 /- रूपये खसरा नम्बर 108 रकवा 1.6 हैक्टेयर राशि 1,92,05,491 /- रूपये खसरा नम्बर 120 रकवा 0.4351 हैक्टेयर राशि 2,83,66,202/- रूपये भूमि का कुल अवाप्त रकवा 3.0614 की कुल मुआवजा राशि 4,79,44,534/- रूपये के भुगतान के संदर्भ में प्रकरण संख्या 17/2024 विचाराधीन है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मुआवजे का प्रकरण न्यायालय में लम्बित है जिसमे आप अविनाश पुत्र रामस्वरूप निवासी मूर्ति कला कॉलोनी, बाईपास जयपुर, दीपक अग्रवाल पुत्र नाथूलाल अग्रवाल निवासी रघुनाथ कॉलोनी, अजय सर्किल झोटवाडा जयपुर, पिताम्बर भाटिया पुत्र जेठानन्द भाटिया निवासी सी-341 ए, मालवीय नगर जयपुर, रामबाबू पुत्र रामजीलाल निवासी मूर्ति कला कालोनी, बाईपास, जयपुर, सूर्य नारायण पुत्र मुरारीलाल निवासी ए-30, गायत्रीनगर सोडाला जयपुर, ओमप्रकाश पुत्र कल्याण सहाय निवासी ए-43, बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर, देवसुमन पुत्र मूलचन्द निवासी मकान नम्बर 69, मॉडल टाउन, जगतपुरा जयपुर, दिलीप अग्रवाल पुत्र श्री कल्याणमल निवासी डी-651, मालवीय नगर जयपुर, प्रकाश पुत्र परसराम निवासी मालवीय नगर जयपुर, मोतीलाल शर्मा पुत्र ग्यारसीलाल निवासी लूनेठा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, रामस्वरूप पुत्र भगवान सहाय शर्मा निवासी ग्राम उदावाला तहसील व जिला दौसा, यमप्रसाद शर्मा पुत्र गणेशराम निवासी 125, वृंदावन धाम कॉलोनी गीला की नांगल नायला रोड, जयपुर पक्षकार है रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 06. 10.2026 नियत है। रेफरेन्स में अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 06.10. 2026 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा बाद सुनवाई एक तरफा आदेश कर दिया जायेगा।
मोहर अदालत — आज्ञा से रीडर ग्रेड प्रथम, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-06, जयपुर महानगर प्रथम

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम
आम सूचना
रेफरेन्स प्रकरण संख्या 172/2024 (10055/24)
सक्षम प्राधिकारी बनाम कैलाश व अन्य
रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 3 एच (4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत ग्राम बगराना तहसील जयपुर जिला जयपुर की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.2851 हैक्टेयर राशि 1,80,09,049/- रूपये खसरा नम्बर 369 रकबा 0.0360 हैक्टेयर राशि 22,74,029/- रूपये खसरा नम्बर 368 रकबा 0.1794 हैक्टेयर राशि 1,13,32,246/- रूपये खसरा नम्बर 371 रकबा 0.1918 हैक्टेयर राशि 1,21,15,523/- रूपये भूमि का कुल अवाप्त रकबा 0.6923 की कुल मुआवजा राशि 4,37,30,847/-रूपये के भुगतान के संदर्भ में प्रकरण संख्या 172/2024 विचाराधीन है।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मुआवजे का प्रकरण न्यायालय में लम्बित है जिसमे आप धापू पत्नी कालू निवासी ग्राम बुगराना तहसील व जिला जयपुर, नारायण पुत्र रामसहाय ग्राम बगराना तहसील व जिला जयपुर, मंगला पुत्र कालू ग्राम बगराना तहसील व जिला जयपुर, श्री कौशल किशोर सचिव लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सहकारी समिति हनुमान टावर ब्रह्मपुरी खुर्रा जयपुर, हिमांशु पुत्र मनोज निवासी बयाना जिला भरतपुर, सुरेश पुत्र राधाकिशन निवासी प्लाट नम्बर 76, जगनाथपुरी कॉलोनी, बगराना तहसील व जिला जयपुर, आशा बैरवा निवासी लालपुरा की ढाण लवाण जिला दौसा, लता शर्मा पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी बयाना दरवाजा बैर, भरतपुर राज0, लक्ष्मी नगर गृह निर्माण समिति लिमिटेड जयपुर राजस्थान पक्षकार है रेफरेन्स न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 06.10.2026 नियत है। रेफरेन्स में अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 06.10.2026 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे अन्यथा बाद सुनवाई एक तरफा आदेश कर दिया जावेगा।
आदेश आज दिनांक 07/09/26 मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।
मोहर अदालत — आज्ञा से रीडर ग्रेड प्रथम, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-06, जयपुर महानगर प्रथम

NOTICE TO SHOW CAUSE
[Appendix H, Form No. 4]
In the High Court of judicature for Rajasthan, Bench at Jaipur
S.B. WRIT RESTORATION APPLICATION NO. 391/2017
IN
S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 11082/2010
(UMA SHANKAR & ORS. V/S THE COMMISSIONER, DEVSTHAN VIBHAG &ORS.)
To, Respondent No.
2/5. Smt. Phooli Devi @ Kamla Devi, D/O Late Shri Madan Lal, w/o Shri Bheru Lal, (Resident of Jat Ke Raasta Kuey kanear Bagru Walonka Choraha, Purani Basti, Jaipur. (Raj.) 3/1. Ram Lal S/O Late Radhey Shyam R/o - HouseNo. 1132, Rawalji ka bazar, Gangapole,Jaipur,(Raj) 302002
Whereas the above named Petitioner Mr. UMA SHANKAR ... has made an application to this court that
You are hereby warned to appear in the court in person or by a pleader duly instructed on the 30 Day of September 2026 at 10:30AM....o'clock in the forenoon, to show cause against the application failing wherein, the said application will be heard and determined ex-party.2026 Given under my hand and seal of this court on the 15 Day of September 2026
मोहर — प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

खोया पाया

मेरे मकान 4/98 GF जवाहर नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जापत्र-जवाहर नगर में कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें- जसपाल कौर घई 9829059759

मेरे मकान 2/137 FF जवाहर नगर जयपुर का मूल आवंटन, कब्जापत्र, डिक्लेरेशन, कार्यालय आदेश- जवाहर नगर में कहीं गिर गए है मिलने पर सूचित करें- वंदना जैन 9829074267

मेरे प्लाट संख्या 7/95 JDA की योजना विद्याधर नगर, जयपुर JDA से जारी लाइसेंस डीड, मय स्टाम्प पेपर , साइट प्लान, कब्जा पत्र,आवंटन पत्र, आदि मूल दस्तावेज कही गुम हो गए है सुचित करे बाबूलाल मिस्त्री मो. 9820060627

मेरे भूखण्ड संख्या B-79 जेडीए की योजना सेंट्रल स्पाइन जयपुर का जेडीए से जारी मूल कब्जा पत्र कही खो गया है मिलने पर सूचित करें -राधे श्याम शर्मा मो - 9660264641

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम अंकिता वर्मा से बदल कर अंकिता राठौड़ पुत्री झिनकन रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए, निवास- सरवनपुर पांण्डेय डिंगरापुर, गौसपुर, कलवारी, बस्ती, (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी- मकान नंबर-79ए, विजयपथ क्रॉसिंग, पृथ्वीराज नगर मानसरोवर जयपुर (राजस्थान)

मेरे दस्तावेज में मेरा नाम श्यामा शर्मा व श्यामलता शर्मा दर्ज है। जो कि दोनों मेरे ही नाम है। अतः भविष्य में मुझे श्यामलता शर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे। 12, तारा नगर कृष्ण कृपा अपार्टमेन्ट के पास, जगतपुरा, जयपुर, 9828293393

मैनें अपना नाम रामअवतार गुप्ता RAMAWTAR GUPTA से बदलकर RAMAVTAR KHANDELWAL पुत्र श्री प्रभुदयाल खण्डेलवाल निवासी C-2, भैरव पथ, लक्ष्मीनारायण पुरी, सूरजपोल जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे RAMAVTAR KHANDELWAL के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैं कालू राम जाट, पुत्र श्री लादू राम जाट, निवासी 05, सेपटो की ढाणी, जोशीवास, खेजड़ावास, पोस्ट कालख, जयपुर, राजस्थान-303328, ने अपना नाम कालू राम जाट से बदलकर राम चौधरी रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे राम चौधरी के नाम से जाना जाए।

I Nattha Prasad dependent of army no. 17015605X rank HAV Arun kumar R/o Village- Rudauli, Teh. Sandila, Hardoi, Uttarpradesh have changed my name from Nattha Prasad to Nattharam and DOB from 01-03-1957 to 01-01-1957 in my son's service records for all future purposes. vide affidavit no. 58882 Dated 12-09-2026 Chirawa

I have changed my name from Govind Agarwal to Govind Ram Agarwal for all purpose in future. R/o 112, Govardhan Colony New Sanganer Road Sodala Jaipur-302019

I have change my name Reena Singhal to Reena Tarun Bansal for all legal and future purpose. Address: 67-A, Maharaj Kishan Singh Nagar, Dholai, Mansarovar, Jaipur- 302020

उत्तर पश्चिम रेलवे आवश्यक सूचना
सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है, कि **समपार फाटक संख्या-242 (बोबास-आसलपुर जोबनेर)** जो कि **जयपुर-फुलेरा सैक्शन** के मध्य स्थित है को **दिनांक 24.09.2026, सुबह 07.00 बजे से 28.09.26 शाम 19.00** बजे तक पूर्णरूप से बन्द रहेगा। असुविधा के लिए खेद है। सड़क यातायात समपार फाटक संख्या 241 व 243 से निकाला जायेगा। 1380-DI/26
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर) जिला जयपुर
क्रमांकः 932-936 दिनांकः 22/09/2026
जन सुनवाई/ आम सूचना
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त संदर्भित पत्र राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 30, मार्च 2026 के माध्यम से राजस्थान राज्य के जयपुर-भीलवाड़ा सड़क पर मुहाना मंडी जंक्शन फ्लाईओवेर के निर्माण हेतु निम्नांकित गांवों में राज्य सरकार भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चाकसू, जिला जयपुर के द्वारा राजस्थान राज्य के जयपुर-भीलवाड़ा सड़क पर मुहाना मंडी जंक्शन फ्लाईओवेर के निर्माण हेतु निम्नांकित गांवों में भूमि अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन से पूर्व सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) किया जाना प्रावधानित है। इस बाबत निम्न प्रभावित गाँव में भूमि अर्जन हेतु जन-सुनवाई बैठक का आयोजन किया जाना है। **जिसमें समस्त प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।**

क्र.सं.	गाँव का नाम	तहसील	दिनांक	स्थान	समय
1	सांगानेर	सांगानेर	25.09.2026	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय ढाणी कुमावतान सांगानेर	दोपहर 03.00 बजे से

कृपया इस कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।
सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर) जिला जयपुर